न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना जिला नागौर (राज0)
पीठासीन अधिकारी : रिछपाल सिंह बुरड़क, आर०ए०एस०

अपील संख्या 59/2019

1– हीरालाल पुत्र दीनदयाल जाति जांगीड़ निवासी लाडनू ,तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

..............अपीलान्ट

बनाम

1– राजस्थान सरकार, जरिये पटवारी हल्का लाडनूं , तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

2– तहसीलदार लाडनूं , तहसील लाडनूं जिला नागौर राज0।

..............रेस्पोडेन्ट

उपस्थित अधिवक्ता–

1–श्री शेरसिंह जोधा अधिवक्ता अपीलान्ट की ओर से।

अपील विरूद्ध आदेश मुकदमा नम्बर 38/2017 बअनुवान राज्य सरकार जरिये पटवारी हल्का लाडनूं बनाम हीरालाल निर्णय दिनांक 31.12.2018 अज अदालत तहसीलदार लाडनूं को अपास्त करने बाबत।

अपील अन्तर्गत धारा 75 लेण्ड रेवेन्यू एक्ट

निर्णय

दिनांक:10.08.21

{1} –यह अपील राजस्थान भू–राजस्व अधिनिनियम 1956 की धारा 75 के अन्तर्गत तहसीलदार लाडनूं के प्रकरण सं0 38/2017 बअनुवान पटवारी हल्का लाडनूं बनाम हीरालाल में पारित निर्णय दिनांक 31.12.2018 के विरूद्ध पेश की है।

{2} अपील के संक्षिप्त में तथ्य इस प्रकार है कि पटवारी हल्का लाडनूं ने अपीलान्ट/अप्रार्थी के विरूद्ध न्यायालय तहसीलदार लाडनूं को रिपोर्ट पेश कर

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

निवेदन किया कि अपीलान्ट/अप्रार्थी ने मौजा ग्राम लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 रकबा **14–18** बीघा भूमि किस्म गै0मु0 खड्डा में से रकबा **00.06** बीघा भूमि पर संवत 2074 में अप्रार्थी/अपीलार्थी **हीरालाल पुत्र दीनदयाल जाति जागींड़** द्वारा **बाड़ा व चारदिवारी बनाकर** अतिक्रमण किया है तथा अतिक्रमी को अतिक्रमित भूमि से बेदखल करने का निवेदन किया। पटवारी हल्का की रिपोर्ट के आधार पर अधीनस्थ न्यायालय ने प्रकरण दर्ज रजिस्टर कर अपीलान्ट/अप्रार्थी को राज0 भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत जरिये नोटिस जारी कर तलब किया गया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपीलान्ट/अप्रार्थी द्वारा मौजा लाडनूं के खसरा नम्बर **1639** रकबा **00.06** बीघा किस्म गैर मु0 खड्डा भूमि पर अतिक्रमण किये जाने से अप्रार्थी द्वारा किया गया अतिक्रमण राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के प्रावधानों का उल्लघंन होने से अतिक्रमण की श्रेणी में पाया गया। अतः अप्रार्थी को अतिक्रमी माना जाकर मौजा लाडनूं के खसरा नम्बर **1639 रकबा 00.06** बीघा गैर मुमकिन खड्डा से बेदखल किये जाने का आदेश दिया गया, एवं वार्षिक लगान दर **0.45** रूपये के 50 गुणा से जुर्माना रूपये **7/–** अक्षरे **सात** रूपये कायम किया गया।

{3} –अपीलान्ट ने अपनी अपील निम्न आधार अंकित करते हुए पेश की है :–

{3}(1)–यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने निर्णय अधीन अपील पारित करने में कानूनी एवम वाक्याती भूल की है, अतः निर्णय अधीन अपील अपास्त किये जाने योग्य है।

{3}(2) –यह है कि चुनौतिग्रस्त अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक **31.12.2018** को पारित करते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीया अपीलार्थीया के पति को उसके प्रकरण में सम्पूर्ण पक्ष रखने एवं अपीलार्थीया के पति द्वारा पुनः मौका रिपोर्ट सेंटलमेंट विभाग से सही माप चोप सहित रिपोर्ट मंगवाये जाने कानिवेदन किया के बावजूद भी बिना अपीलार्थीयाके पति कापक्ष सुनने का समुचित अवसर प्रदान किये

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

बिना ही अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं द्वारा उक्त आलौच्य आदेश पारित किया गया है जो प्राकृतिक न्याय के सिद्धान्तों के विपरित होने से अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक **31.04.2018** निरस्त फरमाया जाने योग्य है।

{3}(3) – यह है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय हल्का पटवारी की झुठी व गलत रूप से प्रस्तुत अतिक्रमण संबंधी रिपोर्ट पर उपरोक्त आलौच्य अपलाधीन आदेश में वर्णित खसरा नम्बर 1639 गैर मुमकिन खंदेड़ा की भूमि रकबा **00.06** बीघा पर अतिक्रमी मानकर बेदखली का आदेश पारित किया है जो पूर्णतया गलत व अस्वीकार है जबकि वास्तविकता यह है कि उपरोक्त अपीलार्थी के कब्जा आधिपत्य सूदा भूमि जरिये रजिस्टर्ड विक्रय पत्र के दिनांक **13.02.2017** को पुस्तक संख्या **1** जिल्द संख्या **11** पृष्ठ संख्या **185** क्रम संख्या **137 / 17** पर उप पंजीयक कार्यालय लाडनूं में पंजीबद्ध होकर पूर्णतया निजी स्वामित्व का है जिसकी फलावट 3250 वर्गफुट भूमि अभय कुमार जैन पुत्र स्व. श्रीचन्द्र सरावगी जाति जैन सेठी निवासी सेठी निकेतन अठगांव गोहाटी (असम)स्वयं एवं बहैसियत आम मुख्त्यार पुखराज जैन पुत्र स्वं. श्रीचन्द सरावगी, ललिता सबलावत, बेला पाटनी पुत्रियां स्व. श्रीचन्द सरावगी, सरोज देवी जैन पत्नि स्व. राजकुमार जैन, सुमित जैन समस्त जाति जैन सेठी निव0ासी लाडनूं हाल निवासी सेठी निकेतन आठगांव गोहाठ असम द्वारा दीवार सहित कय की हुई है एवं अपीलार्थी की उक्त खरीदसुदा व उपयोग उपभोग सुदा भूमि के पूर्वी तरफ की फलावट 1950 वर्गफुट भूमि संजय कुमार शर्मा पुत्र सीताराम जाति ब्राहम्ण निवासी गुणपालिया तह0 लाडनूं की दीवार सहित कय की हुई है। प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा कयसूदा भूमि का ईमारती पटटा तत्कालीन जागीरदार ठिकाणा लाडनूं से विक्रम सम्वत 2000 का पोष बदी 13 का फलावट 11700 वर्गगज (1गज=2X2 फूट) का सरावगी गंगवाल बच्छराज घमण्डीराम पुत्र पोत्रगण सुखदेवजी के नाम से बना हुआ था उक्त पटटाधारियों ने उपरोक्त भूमि का सम्वत 2005 का चेत सूदी नवमी को सुखदेव चेरिटी इस्टेटस ट्रस्ट लाडनूं को भेंट कर दी थी तत्पश्चात उपरोक्त भुमि के चारों ओर चार उदीवारी का निर्माण ट्रस्ट द्वारा करवाया गया था जिसका उल्लेख सुखदेव चेरिटी ट्रस्ट इस्टेट्स लाडनूं द्वारा निष्पादित अपने

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

विक्रय पत्र में कर रखा है जो विक्रय पत्र दिनांक **12.09.68** पुस्तक संख्या **1** जिल्द संख्या **34** सफा नम्बर **1से4** सिलसिला नम्बर **393/68** उप पंजीयक कार्यालय लाडनूं में पंजीबद्ध द्वारा फलावट **1300** वर्गगज भूमि श्रीमती **केसर देवी** पत्नि श्रचन्द जाति सरावगी निवासी लाडनूं को बेचान कर दी । उक्त विक्रय पत्र में ट्रस्ट के ट्रस्टीगण ने अंकित करवाया कि उक्त असल पटटा ट्रस्ट कार्यालय लाडनूं के पास है जो खरीददार को आवश्यकता होने पर उसका उपलब्ध करवा दिया जायेगा जो उक्त पटटे को प्रार्थी अपीलार्थी भी ट्रस्ट से प्राप्त कर प्रस्तुत कर देगा। पूर्व केता केशर देवी का देहान्त हो जाने से उसके उताराधिकारी पुखराज जैन, अभय कुमार जैन, राजकुमार जैन पुत्रान श्री चन्द सरावगी , ललिता सबलावत, बेला पाटनी पुत्रियां श्रीचन्द सरावगी हुये। राजकुमार का देहान्त होने से उसके उताराधिकारी वारिसान सरोज देवी, सुमित जैन अमित जैन, संगीता जैन हुये जिनसे फलावट 3250 वर्गफुट भूमि अपीलार्थी ने कय की तथा उक्त भूमि पूर्वी तरफ की भूमि फलावट 1950 वर्गफुट भूमि संजय कुमार शर्मा ने कय की। उपरोक्त खरीदसूदा भूमियां आबादी पटटा की भूमि है जो आबादी पटटा तत्कालीन जागीरदार ठिकाणा लाडनूं द्वारा अपनी अधिकारिता के तहत जारी किया हुआ है। राज्य सरकार द्वारा जारी प्रपत्र संख्या प–6''42''राजस्थान 58 दिनांक 05.01.1993 के पैरा संख्या 6 में स्पष्ट प्रावधान है कि तत्कालीन जागीरदार द्वारा जिस ककिसी भी भूमि को आबादी भूमि के रूप में हस्तान्तरत कर दिया गया है उसके संबंध में रेवेन्यू एक्ट के तहत किसी प्रकार का कोई ऐतरराज नहीं उठाया जा सकता । उपरोक्त पटटाधीन भूमियां आबादी कस्बा लाडनूं की भूमिया है जिस बाबत अधिनस्थ न्यायालय को किसी प्रकार से कोई भी अतिक्रमण संबंधी कार्यवाही करने का अधिकारीता व क्षेत्राधिकार न होते हुए भीर उपरोक्त आलाच्य आदेश पारित किया है जो काबिले खारिज फरमाये जाने योग्य है।

{3}(4) –यह है कि अपीलार्थी की कय सूदा भूमि का ईमारती पटटरा तत्कालीन समय के पूर्व जागीरदार लाडनूं द्वारा सरावगी गंगवाल बच्छराज घमण्डीराम पुत्र पोत्रगण सुखदेव के पक्ष में जारी किया हुआ था। जो खरीददार को आश्यकता होने पर उसका उपलब्ध करवा दिया जायेगा जो उक्त पटटे को प्रार्थी अपीलार्थीया भी

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

ट्रस्ट से प्राप्त कर प्रस्तुत कर देगी। उपरोक्त खरीदसुदा भूमियां आबादी पट्टा की भूमि है जो आबादी पट्टा तत्कालीन जागीरदार ठिकाणा लाडनूं द्वारा अपनी अधिकारिता के तहत जारी किया गया था एंवं काश्तकारी तथा भू राजस्व अधिनियम के लागू होने से पूर्व ही तत्कालीन जागीरदार अपनी जागीर के अधीन भूमियों का हर प्रकार से हस्तान्तरित करने की अधिकारीता प्राप्त थी। उपरोक्त पट्टाधीन भूमियां आबादी कस्बा लाडनूं की भूमिया है जिस बाबत अधिनस्थ न्यायालय को किसी प्रकार से कोई भी अतिक्रमण संबंधी कार्यवाही करने का अधिकारीता व क्षेत्राधिकार न होते हुए भी उपरोक्त आलोच्य आदेश पारित किया है जो काबिले खारिज फरमाये जाने योग्य है।

{3}(5) – यह है कि उक्त आलोच्य आदेश अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित किया गया है जो उक्त अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी पदेन उप पंजीयक के रूप में भी कार्य करते है एवं अधीनस्थ न्यायालय के वर्तमान तथा पूर्व पीठासीन अधिकारी के समक्ष उपरोक्त आलौच्य आदेश मे वर्णित खसरा नम्र 1639 से संबंधित भूमियो का पूर्व में जरिये रजिस्टर्ड विकय पत्र के अनेको पक्षकारों द्वारा समय समय पर हस्तान्तरित की जाकर विकय विलेखों को पंजीबद्ध किया जा चुका है एवं उपरोक्त विकय विलेखों के निष्पादन एवं पंजीबद्ध के समय अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा पदेन उप पंजीयक के तौर पर हस्तान्तरित भूमियों का मौका निरिक्षण भी समय समय पर किया गया है एवं वक्त मौका निरिक्षण अधीनस्थ न्यायालय के किसी भी पीठासीन अधिकारी द्वारा किसी भी प्रकार की कोई अतिक्रमण संबंधि रिपोर्ट उपरोक्त खसरा नम्बर 1639 के आबाद व्यक्तियो के विरूद्ध कभी भी नहीं की गयी है। उक्त अतिक्रमण संबंधि रिपोर्ट हल्का पटवारी द्वारा आपसी द्वैषता से ग्रसित होकर निराधार तथ्यों व कपोल कल्पित आधारों पर गलत रिपोर्ट अधिनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी के समक्ष प्रस्तुत जिस पर अपीलार्थी द्वारा दस्तावेज प्रस्तुत करने के बावजूद भी अपीलार्थी के उक्त दस्तावेजों पर बिना कोई गौर फरमाये ही प्राकृतिक न्याय व विधि की मंशा के

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

विपरित जाकर आलौच्य आदेश पारित किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

{3}(6) – यह है कि जिस भू0अ0नि0की रिपोर्ट के अनुसार प्रार्थी/अपीलार्थी को अतिक्रमी माना है जो उक्त रिपोर्ट में खसरा नम्बर 1639 एवं उक्त खसरान की विभाजित भूमियो एवं खसरा नम्बर 1851 व 1852 की मध्य सीमा से सीमाज्ञान शुरू करना बताया है जबकि उपरोक्त खसरा नम्बर 1851व 1852के मध्य कोई भी पुख्ता सीमाचिन्ह/मुटाम नहीं है जो कि आलौच्य आदेश में वर्णित खसरा नमबर 1639 के पास ही स्थित है के चारों और सघन आबादी क्षैत्र होना बताया है जिससे मुख्य या निश्चित प्रमाणित बिन्दू से माप नही करके मौके पर रास्तों की खुली भूमि से ही जरीब चलाया जाना बताया है जबकि उपरोक्त रास्ते वर्तमान में न तो मूल राजस्व रेकार्ड में दर्शित है एवं न ही मूल नक्शा सीट में तरमीम सूदा है तथा न ही उनके सही स्थान पर मुताबिक रेकर्ड में दर्शित रास्तों का प्रमाणित होना माना जा सकता है। जिससे यह साबित है कि बिना प्रमाणिक बिन्दू से जरीब चलाकर किया गया माप सघन आबादी के मध्य सही होना असम्भव ही है एवं गलत बिन्दू से किया गया माप के आधार पर सींमाज्ञान रिपोर्ट को प्रमाणित मानते हुये की गयी अतिक्रमण संबंधि कार्यवाही काबिले खारिज फरमाई जानी योग्य होने से खारिज फरमाई जावे।

{3}(7) – यह है कि अपीलाधीन आदेश के अधीन रही भूमि जागीर सम्पति होने के कारण तत्कालीन जागीरदार को उक्त भूमि का हर प्रकार से उपयोग उपभोग करने के लिये पटटा जारी करने का पूर्ण अधिकार था एवं उक्त अधिकारिता के तहत ही आबादी भूमि के रूप में हर प्रकार से उपयोग एवं उपभोग में ली जा रही है उपरोक्त भूमियों का समय समय पर अधीनस्थ न्यायालय के पीठासीन अधिकारी द्वारा बतौर पदेन उप पंजीयक के रूप में दस्तोवेजों को पंजीकृत भी किया गया है जो पंजीयन के वक्त असल दस्तावेजो का भी निरिक्षण व सत्यापन किया जाता रहा है जिसके बावजूद भी उक्त हल्का पटवारी की गलत तथ्यों के आधार पर अतिक्रमण संबंधि कार्यवाही की जाकर बेदखली के आदेश किये गये है जो सर्वप्रथम ही न्याय

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

दृष्टान्तों एव कानूनी मशां अनुरूप खारिज फरमाये जाने योग्य होने से खारिज फरमाये जावें।

{3}(8) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय ने अपने आलोच्य निर्णय आदेश में भू अभिलेख की हैसियत से जारी आदेश पत्रांक भू0अ0/2017/1032–1038 दिनांक 08.4.2017 के तहत कठित टीम द्वारा किये गये सींमाज्ञान रिपोर्ट को भी आधार माना है जबकि उपरोक्त सीमांज्ञान हेतु गठित टीम के समक्ष प्रार्थी अपीलार्थी ने अपनी अधिकारिता कब्जा अधिपत्य सूदा भूमि के सम्पूर्ण दस्तावेज प्रस्तुत कर दिये गये थे जो कि उक्त सीमाज्ञान टीम की रिपोर्ट में भी वर्णित किया गया है कि प्रार्थी अपीलार्थी अपने मालिकाना दस्तोजों के अनूसार मौके पर काबिज है एवं प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा माननीय उपखण्ड अधिकारी डीडवाना के आदेश से उपरोक्त खसरान भूमि को समय समय पर भिन्न भिन्न व्यक्तियों के पक्ष में उपरोक्त खसरान भूमि 1639 में से अधिकांश भूमियां गैर मुमकिन आबादी दर्ज होने का आदेश भी प्रस्तुत किया था जो कुछ भूमियां आदेशानुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद नहीं है जिसके बावजूद भी उपरोक्त सींमाज्ञान रिपोर्ट को आधार मानते हुये अधीनस्थ न्यायालय ने आलोच्य आदेश पारित किया है जो काबिले निरस्त होने से खारिज फरमाया जावे।

{3}(9) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट दिनांक 21.04.2017 के आधार पर उक्त अतिक्रमण संबंधी प्रकरण दर्ज कर उक्त बेदखली को आलौच्य आदेश प्रदान किया है जो हल्का पटवारी द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट भी अपने आप में विरोधाभाषी कथन का वर्णन कर रही है उक्त रिपोर्ट में हल्का पटवारी द्वारा सम्वत 2074 में अपीलार्थी द्वारा मकान बनाकर अतिक्रमण करना बताया है तथा उक्त रिपोर्ट में भी अतिक्रमण पुराना होने का कथन किया है जो अपने आप में विराधाभाषी कथन है जबकि अपीलार्थी द्वारा एवं अपीलार्थी से पूर्व जो भी केतागण उपरोक्त आलौच्य आदेश के अधीन रही भूमि के भू स्वामी रहे है उनके द्वारा उक्त कयसूदा भूमि में पक्के रहवासीय मकानात का निर्माण कर रखा है जो वर्षो पुराना है। प्रार्थी अपीलार्थीया को बिना किसी वजह ही हैरान व पेशान करने की नियम से

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

उपरोक्त आलौच्य आदेश अधीन प्रकरण दर्ज कर आदेश पारित किया है जो प्रथम दृष्टया ही खारिज फरमाये जाने योग्य है।

{3}(10) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय के तत्कालीन पीठासीन अधिकारी द्वारा राज्य सरकार के निर्देशानुसार नगरपालिका क्षेत्र लाडनूं के अधीन आने वाली खसरान भूमियां जो रा.भू.रा.अ. के प्रावधानों के विपरीत उपयोग उपभोग में की जा रही थी को पुर्नग्रहित कर तत्कालिक खातेदारानों अधिकारों को प्रयावसित कर भूमि को पुर्नग्रहित कर स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं के नाम दर्ज करवाये जाने की आम सूचना अपने पत्र कमांक 3691 दिनांक 27.01.2000 के द्वारा प्रकाशित करवाई थी उक्त नोटिस प्रकाशन में भी कस्बा लाडनूं के राजकीय भूमिया के खसरान भूमियों का प्रकाशन कराया गया था जो उक्त प्रकाशन में खसरा नम्बर 1639 की भूमि का प्रकाशन नहीं किया गया था चुंकि उक्त भूमि आबादी की भूमि होना स्थानीय निकाय नगरपालिका मण्डल लाडनूं द्वारा माना गया था एवं उपरोक्त खसरा नम्बर में अधिकाश रहवास निवास करने वाले लागों को स्थानीय निकाय द्वारा निर्माण की अनुमति/तामिर निर्माण की अनुमति/स्वीकृति तथा मूलभूत आवश्यकताओं जैसे बिजली पानी सड़क आदि निर्माण कार्य की स्वीकृति/अनापति भी स्थानीय निकाय द्वारा समय समय पर प्रदान की जाती रही है जो अधीनस्थ न्यायालय द्वारा द्वारा उपरोक्त स्थानीय निकाय की स्वीकृति से पक्के निर्माणात कर रहवास एवं निवास करने वाले अपीलार्थी के अलावा अन्य लोगों के विरूद्ध भी अतिक्रमण संबंधि प्रकरण दर्ज कर बेदखली की कार्यवाही की गयी है, जिससे भी उक्त आलौच्य अपीलाधीन आदेश निरस्त योग्य है।

{3}(11) – यह है कि स्थानीय निकाय द्वारा उपरोक्त पटटाधीन भूमियों में रहवास एवं निवास कर रहे व्यक्तियों से गृहकर के रूप में राशि भी वसूल समय समय पर की जाती रही है जो अपीलार्थी सहित अन्य उपरोक्त खसरान भूमि खसरा नम्बर 1639 में रहवास निवास कर रहे अड़ौस पड़ौस के व्यक्तियों द्वारा भी समय समय पर गृहकर रूप में स्थानीय निकाय को राशि अदा की जाती रही है। सहवन से उक्त भूमि राजस्व कर्मचारियों की गलती से गैर मुमकिन खडडा दर्ज हो रखी है जो कि

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना

पूर्णतया गलत दर्ज हो रखी है एवं उक्त राजस्व कर्मचारियों की भूल के आधार पर उपरोक्त आलौच्य आदेश के अधीन खसरा नम्बर भूमि में रहवास एवं निवास कर रहे अपीलार्थी सहित अन्य व्यक्तियों के विरूद्ध अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलाधीन आलौच्य आदेश पारित किया है जो शुरू से खारिज फरमाया जाने योग्य होने से खारिज फरमाया जावें।

{3}(12) – यह है कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित अपीलाधीन आलौच्य आदेश की जानकारी होते ही अविलम्ब प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर अन्य सुसंगत दस्तावेज जो कि प्रार्थी अपीलार्थी के वैद्य कब्जा आधिपत्य से संबंधित है को प्राप्त कर जानकारी तिथि से अविलम्ब अन्दर मियाद ही उपरोक्त अपील प्रस्तुत की जा रही है एवं उपरोक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश के पारित करने की दिनांक एवं जानकारी तिथि से प्रमाणित प्रतियां प्राप्त करने में लगे समय को कण्डोन किया जाना न्याय संगत है जो उपरोक्त निर्णय से जानकारी होने से उसी रोज अधीनस्थ्रा न्यायालय के समक्ष प्रमाणित प्रतियां हेतु आवेदन प्रस्तुत कर दिया था एवं बाद प्रमाणित प्रतियां प्राप्त कर उपरोक्त अपील प्रार्थी अपीलार्थी को विधिक रूप से प्राप्त अपीलीय अधिकारों के तहत प्रस्तुत की जा रही है जो उपरोक्त समयावधि के कण्डोन हेतु मयाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से प्रस्तुत किया जा रहा हे तथा प्रार्थी अपीलार्थी द्वारा प्रस्तुत जवाब मय फेरियस्त दस्तावेजों पर अधीनस्थ न्यायालय ने बिना कोई गौर फरमाये ही उपरोक्त अपीलाधीन आलौच्य आदेश पारित किया है जो खारिज फरमाये जाने योग्य है।

{4} उक्त निर्णय से व्यथित होकर अपीलान्ट द्वारा यह अपील दिनांक 11.07.19 को इस न्यायालय में प्रस्तुत की गयी। अपीलान्ट की अपील को दिनाक 15.07.19 को दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडन्ट को जरिये सम्मन सुनवाई हेतु तलब किया गया । अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड हेतु तलबी जारी की गयी। । अधीनस्थ न्यायालय का रिकोर्ड दिनांक 31.07.2019 को प्राप्त हुआ। वकील अपीलान्ट ने दिनांक 22.2.2021 को एक प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया है कि उक्त विवादित भूमि की वर्तमान

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना

स्थिति रेकर्ड पर मंगवाई जावे। प्रार्थना पत्र शामील मिसल किया गया। वकील अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र में यह निवेदन किया है कि लाडनूं के खसरा नं0 1639 व आस पास की भूमियो का नाप कर सीमाज्ञान गठीत टीम द्वारा करवा कर वर्तमान मौका स्थिति मंगाई जावे। इस पर अधिनस्थ न्यायालय को पत्र जारी किया गया तथा वर्तमान मौका रिपोर्ट तैयार कर भेजने हेतु लिखा गया ।

{5} –अधिनस्थ न्यायालय ने दिनांक 0.06.2021 को उक्त विवादित जायगा की वर्तमान मौका रिपोर्ट इस न्यायालय पेश की जो निम्न प्रकार से है:–

तहसीलदार भू0अ0 लाडनूं से वर्तमान दिनांक 1.06.2021 की मौका रिपोर्ट अनुसार विचाराधीन भूमि कस्बा लाडनूं के खसरा नम्बर 1639 का मौका निरीक्षण किया जो मौका स्थिति व राजस्व रेकर्ड अनुसार वर्तमान ऑन लाईन राजस्व रिकोर्ड नक्शा में खसरा नम्बर 1639 के उतरी तरफ एक अलग तरमीमसूदा खसरा नम्बर 2935 / 1639 क्षेत्रफल 0.4207 अर्थात 02–12 बीघा भूमि है जो निजी खातेदार घमण्डीराम पुत्र बच्छराज जाति सरावगी साकीन लाडनूं आदि के नाम ऑन लाईन जमाबंउदी में निजी खातेदारी में दर्ज है तथा उक्त तथा उक्त खसरा नम्बर 2935 / 1639 के अधीन भूमि का तत्कालिक स्वामियों द्वारा अपने दस्तावेजों के आधार पर अलग अलग समय भिन्न भिन्न लोगों को जरिये पजीकृत दस्तावेजों से भूमि हस्तान्तरण होकर वर्तमान समय में नन्दलाल पुत्र भोलाराम जाति जांगीड़ निवासी लाडनूं तहसील लाडनूं ने उक्त भूमि वर्तमान खसरा नम्बर 2935 / 1639 के भू भाग में से फलावट 2000 वर्गफुट भूमि को जरिये रजिस्टर्ड दस्तोवेजों से खरीद करना होकर खरीदसूदा भूमि पर काबिज होकर आवश्यक मूलभूत सुविधाओं सहित मकान दूकान आदि बनाकर उपयोग उपभोग में ले रहा है। तथा खसरा नम्बर 2935 / 1639 गै.मु. खड्डा नवीन रूप से राजस्व रेकर्ड में अलग से दर्ज होकर राजकीय खाते में भूमि दर्ज है। वक्त कार्यवाही बेदखली बाबत दर्ज प्रकरण अधीन धरा 91 आर.एल.आर. एक्ट दिनांक 21.04.2017 को उक्त भूमि खसरा नम्बर 1639 में बिकी का नामान्तरण व तरमीम नहीं होने से की गई थी जो बाद दर्ज प्रकरण अधीन

अतिरिक्त जिला कलेक्टर
डीडवाना

भूमि का राजस्व रेकार्ड को संघारित/अमल दरामद कर उक्त नक्शा लटठा व जमाबंदी में रिकॉर्ड दुरूस्त कर दिये जाने से खसरा नम्बर 2935/1639 क्षैत्रफल 0.4207 अर्थात 02.12 बीघा निजी खातेदारी में दर्ज है जो उक्त निजी खातेदारी सूदा भूमि खसरा नम्बर 2935/1639 के भू भाग पर ही अतिक्रमी नन्दलाल का कब्जा आधिपत्य हैं

वकील अपीलान्ट ने दिनांक 3.08.2021 को एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 41 नियम 27 सी.पी.सी. का पेश किया जो शामिल मिसल किया गया। अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का स्वीकार कर दस्तावेजात 1,2,3 पत्रावली पर ग्रहण किया गया । प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. के अनुसार संबंधित प्रकरण में जारी नोटिस अन्तर्गत धारा 91 भू राजस्व अधिनियम का जबाब देते हुए अपीलान्ट का यह जबाब रहा है कि धारा 91 भू राजस्व अधिनियम के तहत बताई गयी विवादित भूमि राजस्थान भू राजस्व अधिनियम के प्रभाव/प्रवृत में आने से पूर्व ही तत्कालीन जागीर दार ठिकाना लाडनूं द्वारासाधिकार पूर्वक आबादी घोषित कर अपील अधीन भूमि का आवासीय पटटा जारी करने के बाद पट्टाधारी ने अधिकारी पूर्वक भूमि का आवासीय पट्टा के आधार पर उतरोतर हस्तान्तरण किया है जिससे अधिनियम के प्रभाव में आने से पहले ही आवासीय अधिकारी की भूमि होते हुए भी राजस्व नक्शा में भू प्रबन्ध विभाग की त्रुटि से राजस्व विलोप त्रुटि पूर्वक बनाये गये है जो राजस्व अभिलेख/ विलेख खण्डनीय दस्तावेज है उक्त आधार अपीलान्ट की अपील में भी दर्ज है। तहसीलदार लाडनूं द्वारा नगरपालिका मण्डल लाडनूं क्षेत्र की भूमि पर नगरपालिका मण्डल लाडनूं का क्षेत्राधिकारी होते हुए भी बिना क्षेत्राधिकारी के अधिनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडनूं ने बेदखली के आदेश दिये है जो तहसीलदार लाडनूं ने अपनी क्षेत्राधिकारिता से परे जाकर दिये गये होने से पूर्णतया गलत व अवैद्यानिक है।

न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर, डीडवाना

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

अपीलान्ट ने प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र पेश कर निवेदन किया है कि प्रार्थना पत्र के साथ संलग्न दस्तावेज नगरपालिका मण्डल लाडनूं द्वारा तामिर इजाजत बाबत संघारित पत्रावली संख्या 35 / 1964–65 में स्वीकृति पत्र अपीलाधीन भूमि की खतौनी सम्वत 2076–2079 खसरा 2935 / 1639 रकबा 0.4207 हैक्टयर व राजस्व नक्शा को पत्रावली पर ग्रहण करने की आज्ञा व अनुमति प्रदान करवाये जाने का सादर आदेश फरमाये जाने का लिखा है। अतः अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत आदेश 41 नियम 27 सी.पी.सी. का स्वीकार कर दस्तावेजात 1,2,3 पत्रावली पर ग्रहण किया गया ।

{6} प्रस्तुत अपील को गुणावगुण पर निर्णित करने से पूर्व उसके मियाद में होने के संबंध में धारा 5 परिसीमा अधिनियम 1963 को निर्णित किया जाना आवश्यक है। अपीलार्थी द्वारा अपील निर्धारित समयावधि से विलम्ब से प्रस्तुत कराने के संबंध परिसीमा अधिनियम की धारा 5 के तहत प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत कर नहीं किया है तथा प्रार्थी के विरूद्ध निर्णय दिनांक 31.12.2018 को हुआ है तथा अपीलान्ट ने यह अपील न्यायालय में दिनांक 11.7.2019 को पेश की है। अपील पेश करने की मियाद अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय से या निर्णय की प्रतिलिपि लेने के उपरान्त अपील पेश की मियाद एक माह की होती है। अतः अपीलान्ट ने के निर्णय से अपील पेश करने की सीमा एक माह की होती है। अपीलान्ट ने अपने प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम व शपथ पत्र पेश कर कथन किया है कि उसे अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की पूर्व में कोई जानकारी नही थी, उसे निर्णय की प्रतिलिपि लेने पर जानकारी हुई । अतः निर्णय आदेश तिथि व जानकारी तिथि के मध्य व्यतीत हुये समय को न्याय हित में कण्डोन किया जाना न्याय संगत हैं अतः अपीलान्ट की अपील पर सहानुभूतिपर्वक विचार करते हुवे जो अपील दर्ज कराने में हुई देरी को कण्डोन करने के आदेश दिये जाते तथा अपील अपीलान्ट अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

{7} – वकील अपीलान्ट की बहस सुनी गयी। वकील अपीलान्ट ने अपनी अपील के तथ्यों को दोहराते हुवे निवेदन किया है कि वर्तमान में वादग्रस्त आराजी निजी खातेदारी में दर्ज है जिसकी जमाबन्दी एवं राजस्व नक्शे की प्रति भी पेश कर दी गयीं है। इस प्रकार यह भूमि राजकीय भूमि नहीं होने से अपीलार्थी के विरूद्ध तहसीलदार लाडनूं द्वारा अतिक्रमण हटाने की, की गयी कार्यवाही विधि सम्मत नहीं है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार फरमाया जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय निरस्त फरमाया जावे।

{8} – बहस अधिवक्ता अपीलार्थी पर मनन एवं पत्रावली पर मौजूद दस्तावेजात एवं अधिवक्ता अपीलार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात का अध्ययन किया गया । प्रकरण में तहसीलदार लाडनूं द्वारा कमेटी कठित कर रिपोर्ट प्राप्त की गयीं। प्राप्त रिपोर्ट अनुसार वादग्रस्त भूमि ख0नं0 1639 राजकीय खाते में दर्ज होने से तत्कालीन समय प्रकरण धारा 91 राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 91 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया था । वर्तमान में रिकार्ड दुरूस्त कर दिए जाने से खसरा नम्बर 2935/1639 क्षेत्रफल 0.4207 अर्थात 2–12 बीघा निजी खातेदारी में दर्ज है उक्त खातेदारी भूमि ख0नं0 2935/1639 के भू भाग पर ही अतिक्रमी हीरालाल का कब्जा अधिपत्य है। तहसीलदार द्वारा पेश मौका रिपोर्ट एवं अपीलार्थी द्वारा पेश दस्तावेजात में जमाबन्दी की असत्यापित प्रतिलिपि में भी ख0नं0 2935/1639 निजी खातेदारी भूमि दर्ज है। इस प्रकार प्रस्तुत प्रकरण में अपीलार्थी का राजकीय भूमि पर कब्जा होना नहीं पाया जाना प्रतीत होता है। है। पत्रावली पर उपलब्ध ग्राम लाडनूं की जमाबन्दी सवंत 2076 से 2079 जमाबन्दी 2075 (वर्ष 2019) से स्थाई जिसकी केवल ऑन लाईन अप्रमाणित प्रति तहसीलदार लाडनूं द्वारा अपनी मौका फर्द रिकोर्ड के संलग्न की है के अनुसार अतिकमी खातेदार के रूप इस जमाबन्दी में दर्ज नहीं है। इस प्रकार प्रकरण में नवीनतम राजस्व रेकर्ड यथा जमाबन्दी, नक्शा ट्रेश व तरमीम की वास्तविक स्थिति की जॉच की जानी आवश्यक है।

अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना

:::: आदेश ::::

अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 31.12.2018 को निरस्त किया जाकर तहसीलदार लाडनूं को इस निर्देश के साथ रिमाण्ड की जाती है कि सभी दस्तावेजात का सहीं सही पुनः परीक्षण एवं जॉच कर नये सिरे से विधिसम्मत आदेश पारित करें।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)

निर्णय आज दिनांक 10.08.2021 को मेरे हस्ताक्षर व न्यायालय की मुद्रा से जारी कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(रिछपाल सिंह बुरड़क)
अतिरिक्त जिला कलक्टर
डीडवाना (नागौर)